कार्यवाही विवरण

मेसर्स अकलसरा डोलोमाईट क्वारी, (प्रो.–श्री रचित अग्रवाल), ग्राम–अकलसरा, तहसील–जैजैपुर, जिला–सक्ती के कुल क्षेत्रफल–1.884 हेक्टेयर में प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–80,000 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् दिनांक 30/08/2024 दिन शुक्रवार, समय 11:00 बजे स्थान शासकीय अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम अकलसरा परिसर के समीप स्थित मैदान, तहसील–जैजैपुर, जिला–सक्ती (छ.ग.) में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की, ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के तहत् सर्वसंबंधित को सूचित किया गया है कि **मेसर्स अकलसरा डोलोमाईट क्वारी, (प्रो.–श्री रचित अग्रवाल), ग्राम–अकलसरा, तहसील–जैजैपुर, जिला–सक्ती के कुल क्षेत्रफल–1.884 हेक्टेयर में प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–80,000 टन प्रतिवर्ष** के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिप्रेक्ष्य में **स्थानीय समाचार पत्र हरिभूमि, बिलासपुर में दिनांक 30/07/2024 तथा राष्ट्रीय समाचार पत्र फायनेंशियल एक्सप्रेस, नई दिल्ली के मुख्य संस्करण में दिनांक 30/07/2024 को लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी।** तद्नुसार लोक सुनवाई **दिनांक 30/08/2024 दिन शुक्रवार, समय 11:00 बजे स्थान शासकीय अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम अकलसरा परिसर के समीप स्थित मैदान, तहसील–जैजैपुर, जिला–सक्ती (छ.ग.)** में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14/09/2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट, कार्यपालक सार की प्रति (हिन्दी व अंग्रेजी) एवं इसकी सी.डी. (साफ्ट कापी) जन सामान्य के अवलोकन/पठन हेतु **कार्यालय कलेक्टर सक्ती, जिला–सक्ती, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यालय, जिला पंचायत जांजगीर, अनुविभागीय अधिकारी (रा0), कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सक्ती, जिला–सक्ती, कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र चांपा, जिला–जांजगीर–चांपा,** क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, व्यापार विहार पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, बिलासपुर, **सरपंच/सचिव कार्यालय ग्राम पंचायत–अकलसरा, खम्हरिया, छितापंडरिया, डूमरपारा, झालरौंदा, छिकालरौंदा, नंदेली, भोथिया, गुचकुलिया, दनौद, तहसील–जैजैपुर, जिला–सक्ती (छ.ग.),** डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, वायु विंग, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली, मुख्य वन संरक्षक, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) एवं मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर – 19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) में रखी गई है। परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां एवं आपत्तियां सूचना प्रकाशन जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। इस दौरान लोक सुनवाई के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां/आपत्तियों के संबंध में इस कार्यालय को कोई भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ हैं।

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि **दिनांक 30/08/2024 दिन शुक्रवार, समय 11:00 बजे स्थान शासकीय अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम अकलसरा परिसर के समीप स्थित मैदान, तहसील–जैजैपुर, जिला–सक्ती (छ.ग.)** में आयोजित की गई। लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम श्री विरेन्द्र लकड़ा, अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला–सक्ती द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ करने की अनुमति के साथ श्री मनीष जायसवाल, सहायक अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर द्वारा भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से उद्योग प्रतिनिधि **श्री अमित कश्यप, पी. एण्ड एम. साल्युशन, नोयडा (उ.प्र.)** के द्वारा **मेसर्स अकलसरा डोलोमाईट क्वारी, (प्रो. –श्री रचित अग्रवाल), ग्राम–अकलसरा, तहसील–जैजैपुर, जिला–सक्ती के कुल क्षेत्रफल–1.884 हेक्टेयर में प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–80,000 टन प्रतिवर्ष** के परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी जनसामान्य को अवगत कराया गया।

अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला–सक्ती द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को जनसुनवाई संबंधी विषय पर अपने सुझाव, आपत्ति, विचार, टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों ने मौखिक रूप से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां दर्ज कराया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री रमेशचंद्रा, ग्राम–झालरौंदा** :– मेरा गांव इस खदान क्षेत्र से लगभग 3 कि.मी. की दूरी पर है। अभी इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दिया गया। उसमें बहुत लुभावनी बाते कही गई। लुभावनी बाते कहने का मतलब यहां पर 10 खदाने संचालित है। 10 खदान में सब ने अपनी सुनाई में कहां था कि हम वृक्षारोपण करवायेंगे, पानी डलवायेंगे, क्षेत्रीय लोगों को रोजगार देंगे। ये सब तमाम बाते कही थी। मैं निवेदन करूंगा कि ये 10 खदाने कहां पर वृक्षारोपण कराया है, इसकी जांच करावईयें। इसके पूर्व में भी ऐसे जन सुनवाई में हम लोगों को इसी ढंग से बताया गया था। कहीं पे कोई वृक्षारोपण नहीं है। सडक के बारे में बात की गई, सडक के बारे में आप चल के आये होंगे, देखें होंगे सडक की क्या स्थिति होगी। आप अच्छे सडक से आये है। आप खम्हरिया–दर्राभाटा–झालरौंदा सडक में एक बार चल के देख लिजिये, इसकी क्या स्थिति है, ये सब बर्बादी इन खदानों के कारण हुआ है। मेरा निवेदन था मैं इस खदान का विरोध नहीं कर रहा हूॅ। चूंकि हमें डोलोमाईट की आवश्यकता है, डोलोमाईट से लोहा बनता है और इसको पूरे देश को आवश्यकता है। खासकर अनिवार्य अंग है, परंतु ये सडक ये जन स्वास्थ के साथ खिलवाड करके होना, ये उचित नहीं लगता। मेरा निवेदन था कि सबसे पहले आप यहां तक जो भी प्रभावित एरिया है वहां पर सडक का निर्माण कराये। पर्यावरण के अधिकारी आये हुए है उन्हें रास्ते में अमागोलाई के पास एक चूना भट्ठा दिखाई दिया होगा। उसमें 8 बडी–बडी चिमनियां है, परंतु कभी नहीं क्यो चिमनियों से धूम्र उत्सर्जन नहीं होता, वो वही से निकाल फेकते है, जिससे आसपास का पर्यावरण बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि जाते–जाते उसकी भी जांच करावा लिजिये। उसने भी 1000 पेड लगवाने का आश्वासन दिया था। 1000 मे से 5–10 पेड कहीं दिख जाये तो उसका भी आप अवलोकन कर लिजियेगा। यही निवेदन है। मैं पुनः एक बार ये कहना चाहूंगा। ये सडक पहले बनवा ले, इस खदान के खुलने में हमको कोई आपत्ति नहीं है। एक चीज और है इस फैक्ट्री से ये नहीं पता चल रहा है कि वो निजी जमीन है या सरकारी जमीन है। अगर ये निजी जमीन है तो उसका खसरा नंबर से तो जिक्र होना चाहिए था, उसमें रचित अग्रवाल, अकलसरा करके एड्रेस है। अकलसरा में मैं समझता हूॅ कि कोई रचित अग्रवाल नहीं है, उसका भी घर का पता रहना चाहिए। ये कोई बडी बात नहीं थी ये जनसुनवाई ये 3 एकड की जन सुनवाई थी। इसको हम आपस मे भी बैठ के निपटा सकते थे। यहां पर मन बन गया है कि झालरौंदा, अकलसरा, छितापंडरिया आदि ग्रामों में जो भी जमीन लेगा, तो खदान खोलने के लिए लेगा। हमें विरोध करने का एक प्रकार से अधिकार नहीं है। क्योंकि हमी बेच रहे है उन जमीनों को

एक वो ही निवेदन है कि विकास के साथ विनास न हो। ये जो रास्ता है ना जो अकलसरा की गाडिया जाती है, यहां पर प्रायमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, आंगनबाडी, स्कूल बिल्कुल सडक से लगे हुये है। धूल से इतना परेशान है कि पानी गिर रहा है तब कहीं जा के कीचड, पानी गिरने से कीचड है और नहीं गिरता तो लिखित रूप में देने के बात कोई भी संचालक उसका मरम्मत करवा रहे है, न ही पानी छिडकाव करवा रहे है, आपसे निवेदन है कि कृपा करके इस क्षेत्र के ऊपर, इस क्षेत्र की जनता के ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाये रखे। खदान का मैं समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूॅ।

2. **श्री अश्वनी चंद्रा, ग्राम–अकलसरा** :– हम लोगों को खदान खोलने से कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि खुद बेचे है, अपना जमीन इसके पास। चाहे वो घुरूवा बलाये, या तालाब बनाये, कोई आपत्ति नहीं है। रही बात जब भी खदान खोलेगा तो बहार के आदमी को काम में लगाते है, इसलिए ये गलत है। हमारे गांव के ही मजदूर लगाये और काम करवाये।

3. **श्री परमेश्वर चंद्रा, ग्राम–केकराभाट** :– जो खदान खुल रहा है, समर्थन है।

4. **श्री अमित सोनी, ग्राम–सक्ती** :– रचित अग्रवाल की ये खदान खुल रही है, इसका मैं समर्थन करता हूॅ। इससे गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। ये खदान का समर्थन है।

5. **श्री राजकुमार चंद्रा, ग्राम–अकलसरा** :– ये खदान खुल रहा है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। बस मैं ये कहना चाह रहा हूॅ सर, बाहर से मजदूर न लाकर गांव का ही मजदूर ले। गांव का मजदूर को विकास मिले। मैं समर्थन करता हूॅ कि हमको कोई आपत्ति नहीं है।

6. **श्रीमती विभा यादव, ग्राम–जैजैपुर** :– मैं चाह रही हूॅ कि यहां पर खदान खुले रचित अग्रवाल का खदान मिला है हम सब गरीब है, गरीब का उदधार करें। अपने तरफ से जो भी कर रहे है अच्छा के लिए कर रहे है। हम लोग को कुछ काम मिले, परिवार वाले को काम मिले। खदान के लिए हम सब समर्थन करते है। जितने भी महिलाये आये है सब के सब समर्थन कर रहे है। आसपास के गांव के महिला लोग आये है, मेरे साथ आये है।

7. **श्रीमती रेणु सिदार, ग्राम–सक्ती** :– रचित अग्रवाल से हमें कोई आपत्ति नहीं है, अच्छा खदान बनेगा। हम महिला लोग को रोजगार मिलेगा।

8. **श्री जगदीश प्रसाद चंद्रा उपसरपंच, ग्राम–अकलसरा** :– मेरे द्वारा कलेक्टर में दिनांक 29.07.2024 को आवेदन लगा है। ये राखड़ डाला गया है सरकारी जमीन में उसको ऊपर से कव्हर नहीं किया जा रहा है, न मिट्टी डाला है, न मुरूम डाला है और मावेशी उसमें फंस रहा है। कम से कम पर्यावरण से तो परमिशन तो लिया होगा। आज भोथिया, खम्हरिया, अकलसरा वाले जाते है, गाय को निकालने के लिए इस टाईप का परिस्थिति है वहां पे। उसके बाद में भैया जो बोल के गया है वो गलत बोल के नहीं गया है। खदान खुले लेकिन पेड–पौधा भी लगे। अभी वहां पर भी जाकर देख सकते है राखड का सिस्टम है। 40 फीट गहराई है कोई मिट्टी, मुरूम नहीं डाला है। इस बारे में बिलासपुर का टीम आया है पर्यावरण अधिकारी, जरूर इसमें कुछ बोलेंगे।

9. **श्री संतोष यादव, ग्राम–तलवा** :–हमारे बीच बडे सौभाग्य की बात है कि गांव मे खदान खुलने के रचित अग्रवाल प्रयास कर रहे है। हार्दिक शुभ कामनाये, अभिनंदन, और साथ में हमारे क्षेत्रीय झालरौंदा, चिखलरौंदा गांव के लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। इसके लिए रचित अग्रवाल को समर्थन है।

10. **श्रीमती सीमा यादव, ग्राम–तुषार** :– हम लोग इस खदान का समर्थन कर रहे है। जो हमारे भाई, पति जैसे है उनको रोजगार मिले यहां।

11. **श्री भुनेश्वर, ग्राम–अकलसरा** :– खदान खुलने से मेरे कोई आपत्ति नहीं है। बस ये चाहता हूॅ कि ग्राम के निवासियों है, उनको रोजगार व कुछ काम मिले।

12. **श्रीमती पुष्पलता पाण्डेय, ग्राम–सक्ती** :– रचित अग्रवाल के खदान के लिए हम सब लोग को समर्थन है और भाईयो, पति सबको रोजगार मिले।

13. **श्रीमती संगीता जायसवाल, ग्राम–सक्ती** :– रचित अग्रवाल खदान के लिए बोले है। समर्थन है।

14. **श्रीमती सुनीता सिदार, ग्राम–सक्ती** :– जो भी खदान खुलने वाला है समर्थन है।

15. **श्री सूरज दास महंत, ग्राम–छितापंडरिया** :– इस डोलोमाईट खदान का चालू करने के लिए समर्थन करता हूॅ।

16. **श्रीमती रूबिना बेगम, ग्राम–सक्ती** :– रचित अग्रवाल को खदान खुलने मैं सहमति करती हूॅ। इसमें हमारे भाई–बहनों सभी को काम मिलेगा, उनको तहे दिल से सहमति देती हूॅ।

17. **श्रीमती मुमताज बेगम, ग्राम–सक्ती** :– खदान खुलने के लिए सहमत हूॅ।

18. **श्रीमती साबरा बेगम, ग्राम–सक्ती** :– खदान खुलने के लिए सहमत हूॅ।

19. **श्री सहदेव प्रसाद यादव, ग्राम–अकलसरा** :– जो भी डोलोमाईट खुलेगा उसके लिए समर्थन है।

20. **श्री शिवराज सिंह सिदार, ग्राम–अकलसरा** :– डोलोमाईट खुल रहा है बहुत अच्छा बात है। काम मिले, हम अपने परिवार को अच्छे से रखें। हम लोगों को काम मिले।

21. **श्री शिवनारायण चंद्रा, ग्राम–अकलसरा** :– खदान खुल रहा है मेरा सहयोग है, सहमत है। काम रोजगार मिलना चाहिए।

22. **श्री रूपेश कुमार बरेठ, ग्राम–कोतमी** :– कंपनी खुल रहा है उसका समर्थन करता हूॅ, आग्रह करता हूॅ कि हम लोगों को रोजगार देंगे।

23. **श्री मोती लाल बरेठ** :– जो भी यहां खदान खुल रहा है, उसमें समर्थन है।

24. **श्री चंद्रभान पटेल, ग्राम–तुषार** :– जो यहां माईन खुलने वाला है, उसमें मैं समर्थन करता हूॅ, जो कि पढे–लिखे बेरोजगार युवा को काम मिलेगा।

25. **श्री वैभव अग्रवाल, ग्राम–सक्ती** :– मैं रचित अग्रवाल अकलसरा डोलोमाईट खदान का समर्थन करता हूॅ, ये खदान खुलेगा तो विकास होगा और रोजगार मिलेगा।

26. **श्री कार्तिक सिंह सिदार, ग्राम–सक्ती** :– खदान खुल रहा है, उसमें समर्थन है।

27. **श्री मंगूल राम पाटले, ग्राम–छितापंडरिया** :– जो कि अकलसरा में डोलोमाईट खुलने जा रहा है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा, गांव के व्यवस्थाऐ बनेंगी, इसलिए हमें कोई आपत्ति नहीं है, डोलोमाईट माइंस खुलना चाहिए।

28. **श्री कन्हैया सिंह मंडावी, समाजिक कार्यकर्ता** :– डोलोमाईट वाले ये व्यवस्था को न रखें, ताकि हमारे ग्राम अकलसरा का आसपास गांव का पानी का जल स्तर नीचे चले जा रहा है। सभी को ध्यान में रखते हुए डोलोमाईट को न खोला जाये।

29. **श्री त्रिभुवन नारायण, ग्राम–अकलसरा** :– जानना चाहता हूॅ, कि यहां जन शिविर क्या चीज के लिए हुआ है। मालूम नही है, हम लोग जैजैपुर वाले किसान आदमी है, मैं जानना चाहता हूॅ कि खदान खुलने से हम लोग को क्या–क्या सुविधा मिल सकता है, या दिया जा रहा है। कृपा करके खाली समय में हम पब्लिक को समझाने की कृपा करेंगें। क्या–क्या सुविधा मिला है आगे बताने की कृपा करेंगें। हम लोग पढे–लिखे नहीं है, किसान आदमी है, जिस समय काम चल रहा है आप लोग शिविर लगाते है, हम लोग के बेरोजगारी को कौन देगा। खाली समय रहता था उस समय लगाना चाहिए था। बताने की कृपा करेंगे, की क्या–क्या सुविधा दे सकते है, क्या–क्या दे रहे है और क्या–क्या दिये है। कलेक्टर महोदय से मैं जानना चाहता हूॅ कृपा बताने की कृपा करेंगे पब्लिक को।

30. **श्री रामरतन चंद्रा, ग्राम–अकलसरा** :– वास्तविक में ये जन सुनवाई कई बार हो चुका है। पुरजोर विरोध करते है, परंतु हम लोग का कोई सुनवाई नहीं होता है, ये बडी दुख की बात है। क्योंकि इस खदान से हमारे गांव को नुकसान के सिवा फायदा नहीं है। दोनों खदान चल रहा है इसके चलने से दोनों खदान के मजदूर, कलेक्टर ऑफिस भी पहुंचे थे। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। अभी अधिकारीगण आये हुए है उनसे मैं अनुरोध करूंगा। पहले ये था कि 10 एकड़ से कम में खदान का प्रावधान नहीं होता था। ये 4 एकड़ के लगभग है, इनको खदान क्यों दिया गया। इसका भी जवाब चाहिए, साथ ही साथ हम लोग तो विरोध करते है। परंतु सुनवाई होता है ये तो फॉरमिल्टी है। अधिकारीगण आये हुए है पिछले बार भी कुछ नहीं बोले, सब लोग विरोध किये थे। अभी खरीद के लाये है किराये के टट्टु, यहां पर मैं पता लगाया हूॅ पता चला है कि तलवा, उसी प्रकार से तुषार से, तुषार वाला आयेगा क्या अकलसरा में, सक्ती वाला आयेगा, क्या सक्ती वाला समर्थन कर रहा है। उसको क्या मतलब है पैसा चाहिए। ये लवसरा से आये है ये जो बाहर से आये

है, किराये के टट्टु आये है। ये एप्लीकेशन लिया जा रहा है उसको अमान्य किया जाये। क्योंकि अकलसरा वासी हम लोग है। उसका सुख–दुख दर्द हम लोग जान रहे है कि खदान खुलने पर जो जल स्तर है, पानी का वो नीचे हो गया है। पहले हम लोग नल खोदवाते थे, बोर खोदवाते थे। 200 फीट से अधिक बोरवाले खोदाई नहीं कर पाते थे। अभी तो 400–500 फीट में पानी निकल रहा है। ये पहला आपत्ति है। जितने जा रहे है सब बाहर के है इसलिए मैं महोदय से निवेदन करता हूॅ कि उनका फार्म है, उनको रिजेक्ट किया जाये। ये जो केकराभाट या लवसरा के है ये जो अपना व्यतब्य दे रहे है। वो विरोध कर रहे है या समर्थन दे रहे है। उन्ही का नाम यहां अंकित किया जाये। क्योंकि हम देख रहे है 10–15 एप्लीकेशन लेकर आ रहे है। यहां जमा किया जा रहा है। हम लोग अकलसरा वाले एप्लीकेशन दिये नहीं है। पहली बात है कि जल स्तर नीचे जा रहा है इसलिए नहीं खुलना चाहिए। दूसरा है वायु प्रदूषण पूरा दिन रात चलता है इनका खदान का प्रदूषण निकलता रहता है। वहां जा रहे है तो हम लोग परेशान हो रहे है। माइंस के आसपास जितने भी खेत है। उसमें उत्पादन नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका डस्ट जा–जा के पपडी टाईप जम जा रहा है, उसमें धान नहीं हो रहा है। साथ ही साथ खेती करने वालो को डर है क्या डर है। ब्लास्टिंग हो रहा है ब्लास्टिंग का पत्थर हमारे खेत में आ जाये, इसलिए खेत से दूर भाग रहे है। उसके पश्चात् है वहां पर बजंती नाला है, और सदा पानी बहती रहती है परंतु खदान वाले मिटटी को उसी में डाल रहे है। नाला भी अवरूद्व हो गया है। माइंस के पास में 2006 मे गोठान बना हुआ है, उसी भी इन्ही के द्वारा तोडा दिया गया है। साथ ही साथ उच्चतर माध्यमिक शाला भवन है 1 एवं 1.5 किलोमीटर में है। ब्लास्टिंग से वो बिल्डिंग जर्जर हो रहा है ये सब नुकसान हम लोग सह रहे है। साथ ही साथ धान खरीदी केन्द्र वहां पर बना हुआ है। शासन का वहां 6 लाख लगा हुआ है। एक छतदार बना हुआ है। शेड बना हुआ है और दो ठोक खुला हुआ है। उसमें वहां पर अरविंद सोनी है पोरथा वाला, वो वहां पर विरोध करके रोक लगा दिया है, स्टे लगा दिया है और शासन का 6 लाख रूपये ऐसी ही चला गया। इसलिए हम लोगों को नुकसान है। हमारे यहां धान खरीदी के लिए कोई जगह नहीं है वो नपही जमीन है कोई भी किसान कर सकते है। तो हम लोग को यही परेशानी है साथ ही साथ अकलसरा से भुतिया मेन रोड पहुंच मार्ग, उसी मार्ग के लिए माइंस है। साथ ही साथ अरविंद सोनी वहां पर आपत्ति लगाये है, इसके लिए हम लोग विरोध किये है। हम लोग कई बार विरोध कर चुके है। हम लोग का कोई सुनवाई नहीं है यहां पर सुनवाई करने आये है। आदरणीय महोदय जवाब देंगे कि 10 एकड़ से कम में तो खदान खुलता नहीं है। ये क्या है 1.884 हेक्टेयर, 4 एकड़, 5 एकड़ भी नहीं है। तो कैसे खोला जा रहा

है। साथ ही साथ जितने भी एप्लीकेशन दिये है। जो बाहर गांव है, गांव के नहीं आये है खरीद के लाये है, उनका भी महोदय जी जवाब देंगे। तब भले ही पता चलेगा कि वास्तव में किनको कौन समर्थन में है और कौन विरोध में है और मैं सेवानिवृत्ती शिक्षक हूॅ 14 साल हो गये। गांव में अभी जो पंच, सरपंच है वो भी छुपे रूस्तम हो गये है वो भी गांव वाले उनको शंका के दृष्टि से देख रहे है। पंचो को बुलाया गया है, वो भी यहां नहीं पहुचे है। इससे ये लगता है कि उनको खरीद लिया गया है। हम लोग समान्य जनता है, समान्य जनता का कोई वेल्यु नहीं है। ये तो अपना दुख–दर्द बता रहे है। इन सब समस्याओं को देखते हुए श्रीमान जी से मेरा करबद्व प्रार्थना है कि ये जो खदान है उसे तत्काल बंद किया जाये।

31. **श्री लल्लन सिंह गोड, ग्राम–अकलसरा** :– अपना मैं विचार व्यक्त कर रहा हूॅ और समस्त हमारे ग्रामवासी भी है उनके सामने भी अपना विचार व्यक्त कर रहा हूॅ। मैं कम पढा–लिखा हूॅ फिर भी मेरे बात को गौर किया जाये। हमारे सम्मान्नीय हमारे गांव के गणमान्य नागरिक जो हमारे पिता तुल्य है, वो कृपया विशेष कर ध्यान देंगे, कि अभी यहां जिस संबंध में जन समस्या निवारण का शिविर लगा है। नाम है उनका श्री रचित अग्रवाल इस संबंध में मैं अपने बुजुर्गो से सवाल कर रहा हूॅ कि अगर इनको प्रस्तावित नहीं दिया होगा, गांव के पंच, सरपंच जो है। हमारे रामरतन जी हमारे बहुत आदरणीय है। उन्होंने हमारे डोलोमाईट खदान के बारे में अनेक प्रकार से बोले है, वो जो बोल सकते है। मैं तो नहीं बोल सकता लेकिन मैं सम्मनीय व्यक्तियों से सवाल कर रहा हूॅ। जो हमारे गांव के पंच, सरपंच जो है जो रचित अग्रवाल उनको प्रस्ताव करके दिये है कि नहीं दिये है। अगर दिये है तो मैं हाथ उठाकर इस बात का मैं प्रमाणित करता हूॅ कि उनको खदान खोलने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं दिये है तो तब, दे दिये होंगे तब हम कुत्ते की तरह भौंक सकते है भोकने के सिवाये कुछ नहीं है। आप सभी मेरे बात को गौर कीजिये। यहां आये है यहां पर दो शब्द बोल सकते है बोलने के सिवाये कुछ नहीं है। अगर पंच, सरपंच प्रस्तावित नहीं दिये होंगे, तो हम विरोध करते है कि वो खदान नहीं खुलेगा और दे दिये होंगे तो मैं दावा के साथ कहता हॅ कि खदान हर हाल में खुलना चाहिए। ये मेरा दावा है और ये मेरा अंतिम शब्द है।

32. **श्री गनपत लाल चौहान, ग्राम–अकलसरा** :– पहले हम लोग नौकर–चाकरी कर रहे थे। तो आसपास बहुत सारा फैक्ट्री, ऐसी जन सुनवाई हुआ और उद्योगपति बहुत सारा वादा किये। जितना जन सुनवाई हुआ पीठासीन अधिकारी महोदय के द्वारा किया गया। अभी हमारे गांव के लोग कह रहे थे कि पंच, सरपंच उसको

समर्थन दे दिये होंगें तो वो खुलेगा ही। ऐसा बात नहीं है। बहुत सारा जन सुनवाई में ऐसा लगे कि प्रशासनिक अधिकारी मन, और क्षेत्र के पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और नेता लोग को भी कि लेन देन हो गये है आने वाले समय में खदान खुल जायेगा और फैक्ट्री अभी खुल जायेगा, लेकिन नहीं हुआ कई ठोक रास्ता है। यदि स्वीकृति भी दे दिये होंगे दबाव में तो हम लोग के पास कई रास्ता है विरोध करने का, आखरी में एनजीटी चल देंगे दिल्ली, लिखा–पढी करेंगे। दर्जनों डोलोमाईट के खदान खुल गया है। अकलसरा तक रेल्वे साईडिंग बाराद्वार तक, जो–जो उद्योगपति लोग पहले वादा करे थे तो एक भी मांग पूरा नहीं हुआ। एक पहले से था अब यहां दर्जनो खदान है 80 हजार टन/क्षमता के उत्पादन डोलोमाईट होगा। उसके लिए आज मूल रूप से प्यार्वरण के स्वीकृति के लिए ये जन सनुवाई हो रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हो रहा है, गांव के किसान मन लोग अभी मास्टर जी कर रहे थे कि 4 एकड जमीन में जन सनुवाई हो रहा है आगे और विस्तार होगा। जब खुलते खुलते आसपास के लोग ये आसरा मे रहथे कि हम लोग को प्रदूषण से निजात मिलेगा, कहां मिलेगा खदान खुल जायेगा, तो फैक्ट्री के चिमनी से धुआं उडता है, खदान खुलता है तो खदान से ब्लास्टिंग होगा और बहुत बडे–बडे हैवी ब्लासिटंग होगा, पत्थर को तोडने के लिए उसमें बारूद का प्रयोग करते है, जेलिटिन का उपयोग करते है। जब ब्लास्टिंग होता है तो आसपास के गांव भी दहल उठता है। छात्रावास, हाई स्कूल आसपास के रहने वाले है, रात के सोये है कब दरक जाये, कब चीपक जाये। ये तमाम तरीके के समस्या से घिरना पडता है। ब्लस्टिंग से जो जहरीला धुआं निकलेगा, परिवहन से जो उनके मोटर गाडी आयेगा जायेगा। उससे धुआं उडेगा, धूल उडेगा, धूल के गुब्बार नाक, मुंह, कान में जाईही। गांव के युवा, किसान, ग्रामीण, लईका मन सब परेशान रहेंगे। मैं अकलसरा के किसान लाोग के तरफ से बोल रहा हूॅ, नवजवान के तरफ से बोल रहा हूॅ, महिला के तरफ से बोल रहा हूॅ, लईका लोग के तरफ से भी बोल रहा हूॅ। बहुत से हमारे गांव के आदमी है जो बोल नहीं सकते है। मैं गोहार कर रहा हूॅ, प्रार्थना कर रहा हूॅ। आप लोग बहुत बडे प्रशासनिक अधिकारी हो एक बार लिख दोगे तो कोई नहीं काट सकता। हम लोग विरोध कर रहे है आज ऐसी ही लिखना आप लोग। प्रदूषण फैलेगा तो क्या–क्या बीमारी होगा। वो डाक्टर साहब बता सकते है हम लोगन नहीं जानते है। उसको इस्नो पिलिया, टीबी के बीमारी हो जायेगा। खांसी हो जाएगा, नाना प्रकार के बीमारी को हम लोग ग्रहण करेंगे। धिक्कार है ऐसी जन सुनवाई का बिल्कुल कभी नहीं होना चाहिए। अगर कोई समर्थन कर रहा है तो वो अपने विवके को समझ ले। आने वाले हमारे बच्चे हो सकता है वो चिपा कर मर सकता है सड़क में, बडे बडे गाडी जा रहा है।

अधिकारी लोग कहते है कि तारपोलिन लगाओ, ओव्हर लोड गाडी नहीं जाना चाहिए, कौन मानता है ओव्हर लोड गाडी लेकर चल रहा है। राज्य सरकार सडक बना दे रहा है। उससे ज्यादा क्षमता से अधिक लोड लेकर जाते है। तो उसका बुआ बचेगा सडक का, आने–जाने वाला किसान पैदल भी चलता है, साईकिल में भी चलते है, फटफटी में जाते है, कार मे भी जाते है। चलाने वाला शराबी है स्टेरिंग में बैठा है, डोलोमाईट को लेकर जा रहा है भार क्षमता अधिक है, ठेल दिया बच्चों लोग को स्कूल पढे–लिखे जा रहे है। लहू के सब एक रंग होता है। सडक में देखो हर जगह लहू, हर जगह लहू, इतना दुर्घटना होता है। ये तो छोटे से पर्यावरणीय स्वीकृति है। यदि साल में हिसाब लगाया जाये तो हजारो हजार आदमी चिपा कर मर जा रहे है छत्तीसगढ़ में और पूरा देश मा लाखों आदमी तो ऐसा पर्यावरण के स्वीकृति काहे को देंगे हम लोग, जो हमारे क्षेत्र के किसान के धान के नुकसान होगा, पैदावार के नुकसान होगा, नाना प्रकार के बीमारी से हम लोग ग्रसित होंगे। अनेको–अनेक समस्या से हम लोग घिर जायेंगे। हम लोग का जान बचाने के बच्चो के सरंक्षण करने व किसान के, किसान के उर्वरक खेती जो हो रहा है, आने वाले समय में जब ब्लास्टिंग होगा। जब क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषित होगा। अभी की हालात में व आने वाले समय ये खेती किसानी नहीं होगा। बर्बादी है चारो तरफ बर्बादी है, तो मेरा पीठासीन अधिकारी से आग्रह है, निवेदन है, कि मैं अकलसरा गांव के तरफ से शिकायत करने आया हूॅ कोई लिखा पढी करके नहीं आया हूॅ। मैं अपने मुंह से बोल रहा हूॅ आप लोग नोट कर लो कि हमारे गांव के तरफ से मैं व्यक्तिगत, नवधा गांव के तरफ से हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे है। पर्यावरण स्वीकृति के लिए हम घोर विरोध कर रहे है हमारे विरोध को दर्ज किया जाये। बहुत कम शब्द में बोला हूॅ।

33. **श्री बसंत कुमार यादव, ग्राम–अकलसरा** :–ये जो जनसुनवाई हो रहा है, मैं उसका विरोध कर रहा हूॅ विरोध, उसका कई कारण है गिना दिये है, ये खदान नहीं खुलना चाहिए।

34. **श्री जगदीश सिदार, ग्राम–अकलसरा** :– नया खदान का योजना है, उसमें मेरे को बिल्कुल आपत्ति है। जो पूर्व से खुला है उसमें मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, जिस समय में पंचराम के कार्यकाल में पंचायत के काम को नहीं करते हुये गांव के अचल संपत्ति को बेचकर बहुत गलत किया है, अभी जो खदान खुलने वाला है उसमें भी भी हम लोग को कोई सहयोग प्रदान नहीं है।

दूबारा बोला – यहां जो डोलोमाईट है, उसमें हम लोगों का सहमति नहीं है, जो खुल गया है उसके हमको कोई आपत्ति नहीं है। ये डोलोमाईट के अगला जो कार्यक्रम है, उसको हम लोग को रोकना है। कार्य बढाना नहीं है कार्य करना नहीं है। अभी जो डोलोमाईट खदान वाला है। अश्वनी चंद्रा है कोरा कागज में जो कुछ भी लिख थे, वो मेरे कने साईन कराया है। मैं नई पढा हूॅ साईन कर दिया। उसमें खदान के बारे से सहयोग होगा, उसमें मेरा बिल्कुल सहयोग नहीं है। बिना पढे मैं साईन कर दिया हूॅ। उसमें मेरा सहयोग नहीं है।

35. **श्री आत्माराम सिदार, ग्राम–अकलसरा** :– जन सुनवाई डोलोमाईट नहीं खुलना चाहिए, उसका मैं विरोध करता हूॅ। उसके खुलने में हम लोगा को बहुत हानि है।

36. **श्री बिरबल साहू सरपंच, ग्राम–खम्हरिया** :–मैं डोलोमाईट माइंस श्री रचित अग्रवाल द्वारा जो पर्यावरण से जो जनसुनवाई रखा गया है उसका घोर विरोध करता हूॅ। तत्काल यहां से अपना बोरिया बिस्तर को उठा करके ये लोक सुनवाई को बंद किया जाये। क्योंकि जो डोलोमाईट पहले से खुला है उसकी पहले परिवहन व्यवस्था को ये लोग उसी रास्ते से जायेंगे। मेरा विशेष आग्रह है कि ये खम्हरिया के रास्ते से होते हुये जायेंगे। यहां की व्यवस्था ऐसी है कि ये लोग बेशर्म का पौधा नहीं लगवाये है तो पर्यावरण का बात करते, बेशर्म का पौधा लगवाकर लोक सुनवाई करते, अभी तक एक गेंदा का पौधा नहीं लगा है। हमारी उम्र 34 वर्ष है अभी तक माइंस वाले क्या किये है। उन लोग बता दे कि ये गांव के व्यवस्था के लिए एक भी सराहनीय कार्य किये है। करोना काल में इनके द्वारा एक मास्क का भी वितरण नहीं किया गया है तो किस चीज की लोक सुनवाई होती है यहां पर, खाली यहा पर दलाली होती है, सिर्फ दलाली, दलाली के लिए किया जाता है ये सब, किसान वर्ग युवा वर्ग सब पीढित है। तत्काल यहां से लोक सुनवाई को बंद किया जाये।

37. **श्री बोधराम चंद्रा, ग्राम–भोथिया** :– आप मन के ताकत एक ऐसे ताकत है। ये लडाई पूंजीपति के साथ किसान लोग के लडाई है। ये तो स्पष्ट है कि पिछले बार भी ठाकुर साहब ये जगह विराजीत है। ठाकुर गुलजार सिंह जी उनका हम लोग स्वागत कर रहे है नमन कर रहे है कि 05.02.2022 के ऐसी ही जन सुनवाई रहा था, खदान के संबध में। ये सब के सब अकलसरा खदान में विरोध करे थे। ये बात से स्पष्ट होता है कि ये जगह से, ये क्षेत्र से जुडे किसान, जनप्रतिनिधि चाहे वो छोटे किसान है, बडे किसान है सब के सब हम एक है। ये खदान का विरोध करते है, काहे कि विडम्बना ये क्षेत्र के लोग सह रहे है। मैं ग्राम अकलसरा से लगे ग्राम

भूमिया से कृषि से जुडे आदमी हूॅ। पूर्व में मैं ग्राम भोथिया के सरपंच रहा हूॅ। मैं तो अपने कार्यकाल में भूतिया ग्राम मा एनओसी नहीं दिया। साथ में ये आग्रह करना चाहूंगा कि आम जनता से जुडे कोई मुद्दा है। वो ग्राम पंचायत के प्रस्तावत मान नहीं रहता उसके लिए ग्रामसभा रहता है। पहली बार हम लोग बहुत बार आग्रह किये है। ये क्षेत्र के लोग कि ग्राम अकलसरा में पूर्व में खदान खुले है। क्या वो न्यायसंगत है अगर उसमें त्रुटि है। तो खदान को बंद किया जाये इसका आग्रह हम लोग किये थे। उसमें स्पष्ट बोले है कि उस समय सरपंच लोग प्रस्ताव दिये है लेकिन विधिवत ग्रामसभा का प्रस्ताव था जो नहीं दिये है। हम लोग ये भी निवेदन कर रहे है कि पूर्व में वो खदान खुला है उसको विधिवत जांच किया जाये। खदान खुले में त्रुटि है तो खुले खदान को भी बंद किया जाये। आज जो जन सनुवाई हो रहा है खदान खुलने के नाम से, जब आसपास के किसान लोग विरोध कर रहे है, क्षेत्र के किसान लोग विरोध कर रहे है, खम्हरिया के सरपंच विरोध कर रहे है, भोथिया के किसान लोग विरोध कर रहे है। ये क्षेत्र में बाहर से आये नागरिक उन लोग भी विरोध कर रहे है। तो किस आधार से ये गांव में खदान खोले जाना है। ये गांव के किसान के ये गांव के आदमी से दूर का आदमी क्या जानेगा। जिन लोग खोलना चाह रहे है वो लोग पहले ग्राम अकलसरा में खेती करना था उन लोग को पता चलता। उन लोग को मैं निवेदन करना चाहता हूॅ कि उन लोग अच्छा खासा पूंजीपति है बाहर में कई ठोक उनका उद्योग धंधा चल रहा है। हम बढिया गरीब अपने गांव अकलसरा में खेती बाडी करके जीवन यापन कर रहे है। पिछले आंनद काल से खेती बाडी करते आ रहे है हमारे पूर्वज खेती बाडी करते आ रहे है और भरन पोषण कर रहे है। हम लोग उद्योग वाले के बाराद्वार, सक्ती जाके हस्तक्षेप नहीं करे। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूॅ कि हमारे रोजी, रोटी, खेतीबाडी में आप लोग हस्तक्षेप न करें। खेत लिये हो तो आप खेती करो, और यहां रहो यहां आपका सम्मन होगा। मैं कहना चाहूंगा कि जैसे हमारा देश गुलाम हुआ तो एक–एक पैसा, खासकर अकलसरा के किसान लोग का का निवेदन करना चाहता हूॅ कि हम लोग प्रलोभन में नहीं आये। हम लोग के गांव अकलसरा में हस्तक्षेप करना चाह रहे है, हमारे रोजी–रोटी को कुछ करना चाह रहे है तो उन लोग को भी एक दिन विडम्बना आयेगा। आज अकलसरा के कुछ व्यक्ति मिली भगत नहीं रहते तो ये खदान खोले के प्रक्रिया यहां आगे नहीं बढता। विरोध करना है तो विरोध करो। खदान मत खुले। हम लोग भी पढे लिखे है, अगर ज्यादा पढे लिखे रहते तो वहां बैठे रहते। कोई प्रकृतिक चीज को व्यवधान करने का अधिकार नहीं है। वहां पर बहती नाला है जो आगे जाकर उसका बांध बना है जो भोथिया में मिलता है वो भी अभी प्रभावित हो रहा है। धार्मिक स्थल है मनका देवी, माननीय

मुख्यमंत्री की धर्म पत्नी वो भी उस जगह में आये थे। वो भी उस जगह से ज्यादा दूर नहीं है। पहले से स्कूल संचालित है महोदय जी, जिसमें बच्चे लोग पढते अगर ब्लास्टिंग होगा तो पत्थर टूट जाही तो क्या होगा, साथ ही उस जगह धान प्रक्रिया केन्द्र प्रस्तावित है सब नेता लोग किसान हित में बात करते है। जब ये समय आता है तो हम लोग के उद्योग के कुछ न कुछ के सहयोग कर देते है। यही कारण है कि अकलसरा के खदान से आसपास के सभी किसान प्रभावित है। ये खदान पूर्व मा खुला है उसका भी हम लोग चाह रहे है उसका विधिवत जांच किया जाये। अगर उसमें त्रुटि पाया जा रहा है तो उस खदान को बंद किया जायें। विस्तार के लिए जो हो रहा है उसके लिए एक तरफ से हम लोग विरोध कर रहे थे ठाकुर साहब उसको बंद करावये। हम सब लोग विरोध कर रहे थे तो आपसे निवेदन है कि अधिकारी जी जो ग्राम अकलसरा में खदान खुलने का प्रक्रिया है। इसको आप इसी जगह से बंद करो। जो खुला है उसमें विधिवत जांच किया जाये। ये खदान खुलने के विरोध मे हूॅ। किसान के पक्ष में हूॅ। ग्राम अकलसरा के किसान से आग्रह कर रहा हूॅ कि आज हम खेती कर रहे है और उसके बाद हमारे लडके खेती करेंगे, अनंत कर खेती करही एक दो पैसा के लोभ लालच में न आये। बल्कि जो आ रहे है उनका सम्मान करें सक्ती, बाराद्वार में आपका उद्योग धंधा चल रहा है। आप यहां खेती लिये हो आते जाते रहो। लोभ लालच से दूर रहों तो हमारा कुछ नहीं कर सकेंगे। हमारे बीच के कुछ व्यक्ति लोभ लालच में पडे है। उसी के पास जा रहे है इसके पास कुछ उसके पास कुछ बोलते है। हम लोग खदान खुलने के विरोध में है। मतलब विरोध में है। आप मन के कलम के ताकत बहुत दूर तक जाता है। ये जगह आप अंदाज लगालो कि यहां पर सब आदमी विरोध में है। सब आदमी विरोध में हैं तो वहां खदान नहीं खुलना चाहिए।

38. **डॉ चोलेश्वर चंद्राकार, ग्राम–बाराद्वार** :– किसान के खतिर व किसान के लिए हम लोग खडे है। जो डोलोमाईट के सुनवाई करने आये है, मैं विरोध मे आये है। किसान लोग के साथ निश्चित तौर पर खडे है। ये क्षेत्र डोलोमाईट क्षेत्र है, खनिज सम्पदा है। छ.ग. के महतारी में जल, जंगल, जमीन समाहित है। छत्तीसगढ के राज्य 24 वर्ष में प्रवेश कर रहे है। छत्तीसगढ हर दृष्टि से खेल, कूद से आगे बड रहा है। किसान के अधिकार के हक ला जानता हूॅ। पिछले बार हम लोग ये क्षेत्र में डोलोमाईट मत खुले के विरोध करने आये थे। वर्तमान में भी हम लोग आये है। इसके पहले भी वरिष्ठ नागरिक बोल रहे थे, उनके बात को मैं समर्थन करता हूॅ। छत्तीसगढ के अन्न दाता किसान मन खत्म हो जायेंगे। तो हम लोग के भोजन के व्यवस्था कौन करेगा। हम लोग के रहने के व्यवस्था, हम लोग के सारा व्यवस्था

कौन करेगा। अकलसरा मेरे बुआ का गांव है। मैं बचपन से लगातार भोथिया, अकलसरा, खम्हरिया में मैं आते जाते रहता हूॅ। यहां जो समस्या है सरपंच, यहां के जनपद, जनप्रतिनिधि सब लोग बोले आपको आना है भैया इसी तौर में मैं इनके समर्थन में आया हूॅ। ये क्षेत्र में रोजी रोजगार लोकल आदमी को मिलता ही नहीं है। चाहे सर्विस के क्षेत्र में हो या लोहा बिने, पत्थर बिने, जो कि छोटे–छोटे जो काम आथे वो भी बाहर के आदमी ला बुलाथे। चाहे बंगला देश के आदमी ला बुलाथे। यू.पी. के आदमी आ जायेंगे। छत्तीसग के आदमी जायेंगे तो जायेंगे कहां। आज छत्तीसगढ के महतारी काहे को बनी है हम किसान लोग के लिए बनी है। छत्तीगढ के आदमी के लिए और छत्तीसगढ के सारे धर्म के लिए बनी है। ये क्षेत्र मे डोलोमाईट खुल रहा है तो भारी दर्द होगा, एक्सीडेंट होगा, रोजी–रोजगार समाप्त हो जायेगा। उद्योग प्रतिनिधि जो लगाने वाला है वो अपने व्यवस्या को बढायेगा लोकल आदमी के समस्या को दूर नहीं कर पायेगा। ये क्षेत्र से धूल धक्कड प्रदूषित होगा व हॉस्टिपटल नहीं बन पाया है। जनता कहां जायेगा, चिंता करने की बात है साहब। मैं निवेदन कर रहा हॅ ये जन सुनवाई का विरोध कर रहा हूॅ इसको स्वीकार करो। ये जन सुनवाई को खत्म कर ये डोलोमाईट का पूर्ण रूप से विरोध कर रहे है। हमारे विरोध मे लिखो, हम लोग किसान भाई के साथ में खडे है, हमेशा आप के साथ खडे रहेंगे। जो हमारा निश्चित मांग हे किसान लोग के डुबान भरता है, पानी भरता है, वहां दुनिया भर के समस्या रहता है। कई प्रकार के बीमारी ग्रसित होता है। इस समस्या का हम कैसे निजात पायेंगे। इसका हमें चिंता की बात है। हमको विश्वास है कि आप हमारे बात को सुनोगे। किसान के साथ खडे है यही हमारा विरोध जारी रहेगा।

39. **श्री अनुभव तिवारी, ग्राम–सारागांव** :– ये ही गांव के साहब, इसके पहले जितने भी आवेदन आया है आपका सब का आधार कार्ड चेक करिये, सब भाग गये है। आप लोग हर बार आते है जन सुनवाई करते है। काहे का जनसुनवाई उस दिन डूमरपारा में हुआ था। 1 घंटे में चल दिये थे। आज धन्यवाद है आपका सबक तो लिये आप लोग। 1 घंटा, 2 घंटा रूके है आज जितना भी आवेदन दिया गया है। समर्थन में वो कहीं नहीं है, एक भी आदमी नहीं है। आसपास के कोई नहीं थी सब दूर–दूर से आये हुए थे। सबको गाडी में भरभर कर लाया गया था। सबसे दस्तखत कराया गया था। एनजीटी वाले आते है, यहां पर बोल दिया जाता है सुन लेते है, इतना सारा पेड–पौधा कट रहा है फुट गई है की आप लोगों की आंख, डूमरपारा में देखे है कितना सारा पेड–पौधा लगा है। यहां पर बोले देते है तो बोलते है। यहां पर नहीं बोले तो कहा पर बोले, आप लोगों को यही सुनवाई देता

है ना, कहा है वो एनजीटी वाला तो काहे का जन सुनवाई। जब जन को सुनना नहीं है तो काहे को जन सुनवाई करने आते है, जिस रोड से आये है हैलीकाफ्टर से आये है क्या आप लोग, रोड को देखे है अगल–बगल के रोड के 20 कि.मी. को देखे रोड का क्या हालत है, अगल–बगल के 20 कि.मी. में कितना खदान है। उस समय आप लोग नहीं बोल पाते। उस समय सुनवाई कहां जाता है। ररोड को बनवा है, नाली को बनवाना हैं, एक भी बच्चे रोजगार नहीं कर रहे है यहां पे, एक बच्चे को रोजगार दिला पाते है। पिछले बार 3 सुनवाई हुआ है। एम्बुलेंग आया है गांव में, एम्बुलेंस का वादा था। यही गांव वाले है, जिसको सुनने आये है आप लोग। वाले है। पेपर को रद्द करें। एम्बुलेंस देते नहीं है, शिक्षा का साधन नहीं देते, बिल्डिंग नहीं बनवाते है, कोई रोजगार नहीं दे रहे है। क्या आप खाली पैसा लेके काम करेंगे। 1 घंटा मा जन सनुवाई खत्म कर दिया गया था डूमरपारा में आप लोग थे मैं भी था वहां पे। मेरे उपर केस करिये मैं अगर गलत बोलता हूॅ तो। पूरे बाहरी दलाल पडे है इस क्षेत्र में उन्ही लोग डोलोमाईट निकाल रहे है, उन्ही लोग लुट रहे है। हमारे साथी लोग को केवल भडका–भडका के दारू पीला रहे है। क्या करे सीधे लोग है। छत्तीसगढीया है। पूरा बाहरी दलाल है। साहब आप लोग को सोचना चाहिए कि आप लोग जिस रास्तो से आये है कितना गड्डा है। इधर निकल जाईये झालरौंदा तरफ, खम्हरिय तरफ चले जाईये कितना गड्डा है। आप लोग आते है चले जाते है, देखिये तो सही क्षेत्र का क्या हाल है, रोड कैसा है, घने जंगल को कांट कर क्या पाओगे। आप लोग जन सुनवाई करेंगे। आप लोग का ट्रांसफर हो जायेगा। आप लोग रायपुर चले जायेंगे। रायपुर से जगदलपुर जाओंगे। जगदलपुर का पेड कटवाओंगे। अंबिकापुर का पेड कट रहा है, इस सब का ध्यान देने का जरूवत है। ध्यान देना है तो तब तो ये जन सुनवाई करें। वरना लौट जाईये। क्या हुआ है डूमरपारा का वहां पर आश्वासन दिया गया था। फिर से जन सुनवाई होगा। परमीशन दे दिया गया है। यही भी वहीं हालत होने वाला है। यही हालत होने वाला है तो बताये हम लोग घर में बैठेंगे। ठाकुर साहब बोले एनजीटी में जायेंगे। एनजीटी वाले यहां आते नहीं है। यहां पर खदान है। पूरा रिर्जव फॉरेस्ट पटा गया है। रिर्जव फॉरेस्ट में रोड चल रहा है। इतना बडी–बडी गाडियां चल रही है। रिर्जव फॉरेस्ट जानते है कौन आया है फॉरेस्ट वाला। कहा है डीएफओ साहब, जब फॉरेस्ट वाले नहीं आये तो क्या देंखेंगे आप लोग, पूरा रिजर्व फॉरेस्ट में जिसमें आदमी निकल जाने का परमीशन नहीं है उसमें बडे बडे गाडियां चला रहे है उसमें आप लोगों का आंख नहीं दिखता, यहां पर आप लोग को चिल्ला रहे है। क्यों आते है गांव में, ये जन सुनवाई मा इसी साईड का महत्व है। सब लोग बाहरी है। उन्ही लोग को देखोगे तो हो गया हमारा काम, हमारे बच्चे यहां पर मर रहे है बीमारी से,

हमारे बुढढे मर रहे है बीमारी से, हमारा बेरोजगार भाई मर रहा है रोजगार के लिए, खदान खुल जा बडे–बडे ब्लास्टिंग कर रहे है किसको घाटा हो रहा है किसको नुकसान, आप लोग का हो रहा है क्या, हम लोग का हो रहा है। मैं यहां का नहीं हूॅ मैं सारागांव का हूॅ अनुभव तिवारी मेरा नाम है। मेरे को भी इसी गांव में इसी जगह में आना जाता पडता है। नई देखता क्या मैं कि आप लोग नहीं देख पाये हो। कहा से दिख रहा है। थोडा साध्यान दीजिए। मैं जो बोल रहा हूॅ उसका निरीक्षण कर लीजिये। गांव वाले असली इन्ही लोग है। इन्ही लोग का सुनीये, हम लोग का मतलब नहीं है। हम लोग तो आते–जाते रहते है हम लोग को तकलीफ होती है, रोड हमारा है, छत्तीसगढ माता का है, भारत माता का है, भारतवासी है इसलिए आते जाते है। तकलीफ हमी लोग को होती है। इसलिए आये है। भाई लोग का तकलीफ देखने आये है, माताओं का तकलीफ देखने आये है। किसी को रोजगार नहीं देते है। ठीक बोला भाई। सक्ती से आये है यहां खदान खोलने के लिए। एसी मा आराम करेंगे, दुख कौन पायेगा। हवा का प्रदूषण कौन झेलेगा। गुरूजी इतना दिन जी गये ये अच्छा वातावरण देखे हैं लेकिन इनके लडके अच्छा वातावरण कहां देख पायेंगे, आज कल तो कुछ न कुछ बीमारी हो जाता है। कम से कम रोजगार दिलाईये लिखित में, शिक्षा का व्यवस्था कीजिए, स्वास्थ का व्यवस्था कीजिए। आईये जाईये दोनों खदान खुला है कितना काम कर दिया है या हो गया है। यहां पर 10–10 खदान है इस क्षेत्र में कितना काम हो गया है, काम तो हम लोग को दिख रहा है। कितना बढिया संगमरमर रोड से आये है। खम्हरिया तरफ जाईये खम्हरिया का रोड बेकार है चिखलारौंदा के तरफ जाईये चिखलारौंदा का रोड बेकार है। रोज यही काम करे की आप लोग का कि आप लोग को सुने, आप लोग को देखते रहे। चिल्लाते रहे, आप लोग से माफी मांगते रहे। मैं माफी मांगने वाला नहीं हूॅ। खदान नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। आप लोग साईन करो, कि मत करो यहां पर खदान नहीं खुलेगा। डूमरपारा में खदान नहीं खुलेगा। आसपास के क्षेत्र में अब ज्यादा खदान नहीं खुलेगा, जितना खुल गया है उसका भी जांच कीजिए। रिर्जव फॉरेस्ट को बताईये। रिर्जव फॉरेस्ट का दिखाईये। यहीं मैं शिकायत कर रहा हूॅ। रिर्जव फॉरेस्ट में इतना बडा रोड कैसे खुल गया है। परिवहन का नाका लगाईये, बेरियर लगाईये। कितना ओव्हर लोड गाडी जाता है 12 टन का रोड नहीं है। 25–30 टन जा रहा है कौन देख रहा है आप नहीं देखोगे तो कौन देखेगा। यही से मैं बोल रहा हूॅ यहीं से देखवाईये। आप का ही काम है आप को ही संज्ञान लेना है। खनिज बेरीयर लगाईये। पता करवाईये कि कितना टन जाता है। ओव्हर लोड जा रहा है खराब तो होगा ही। मैं आया हूॅ 12–12 टन का रोड है 40–40 टन जा रहा है। आप लोग अधिकारीगण है। आप लोग को चल देना है

लोगों का भलाई करिये। लोग जो बोल रहे है उसको सुनिये। लोगों का ध्यान दीजिए। यहां पर इन लोगों को नुकसान नहीं हो, स्वास्थ पर ध्यान दीजिए, रोजगार मिले यहां पर निमार्ण कार्य हो अच्छे–अच्छे। यहां पर 10 डोलोमाईट का खदान है मेरे को यहां पर एक अच्छा स्कूल नहीं दिख रहा है, एक अच्छा बिल्डिंग नहीं दिख रहा है, एक अच्छा रोड नहीं दिख रहा है, एक झन बच्चे को रोजगार नहीं मिला होगा।

40. **श्री मणी शंकर, ग्राम–खम्हरिया** :–हाथ जोडकर बिनती करता हूॅ कि यहां डोलोमाईट खदान नहीं खुलने पाये। हमारे यहां खम्हरिया में माइंस है, इतना ज्यादा रोड खराब है, यहां कोई भी गुरूजी पढाने नहीं आते है। स्कूल का व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है। रोड में बडा–बडा 12 चक्का गाडी 50 टन ले जाते है। हम लोग रूकवाते है। तो हम लोग को पुलिस प्रशासन के यहां भेज दिया जाता है और धमकी देते है मैं चाहता हूॅ कि यहां पर डोलोमाईट खदान न खुले।

41. **श्री जगदीश प्रसाद चंद्रा, ग्राम–अकलसरा** :– खदान नहीं खुलने के समर्थन में हूॅ। परेशानी बहुत है अगर खम्हरिया भी जाऐंगे तो बडे–बडे पत्थर गाडी से गिरता है। जितना ज्यादा ओव्हरलोड होगा, उतना हम लोग का नुकसान होगा। वहां पर बेरियर लगा जाता तो वो आराम से जाता, लोड भी कम जाता। आप का ही फायदा होता सरजी, सरपंचो का भी ध्यान दीजिए। हम लोग कोई एक ही ठठारी का रास्ता ही बढिया है। किसी साईड से जाओ, सॉटकट से रामभाटा वाला रोड भी बर्बाद है, और केकेराभाटा रोड भी खत्म है। आपसे रिकवेस्ट है सर, नुकसान तो सिर्फ हम लोग का हो रहा है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये दे आप से मुलाकात हो गया। सरपंच नहीं है, न पंच भी नहीं है। वहां अभी कान में सुनने को आया है कि वहां से 84 लाख रूपया आया है 84 रूपये का काम नहीं हुआ है। मैं खेत में दवाई छिछवा रहा था। एक बार जाना चाहिए। पिछले बार भी आप लोग आये थे।

42. **श्री सहसराम कर्ष, ग्राम–सारागांव** :– उस समय हमारे मध्य प्रदेश सरकार था। भिलाई में स्टील प्लांट खुला। भिलाई में स्टील प्लांट खुला तो उसमें गाना भी बना था। भिलाई में काम कर रहे है और उसकी घर वाली बैठे–बैठे खा रही है, उसके बच्चे खा रहे है इसलिए वो गाना गा रहे है। वहां खुला उससे हमारे छत्तीसगढ के आदमी का भला हुआ। हमारे क्षेत्र से वहां इतना आदमी बिलासपुर के भिलाई में नौकरी कर रहे है, काम कर रहे है। जिससे रोजगार से हम लोग पढ–लिख के

आगे बढे। हमारे घर के व्यवस्था बहुत खराब था। एक बच्चा पढने गये नौकरी पाये तो हम लोग का भला होने लग गया। भिलाई के बाद कोरबा में पॉवर प्लांट खुल गया। पॉवर हाऊस खुल गया, पॉवर हाऊस खुल गया तो हम लोग बिजली कहां से पा रहे है। अगर कोरबा में पॉवर हाऊस नहीं खुलता तो हम लोग को क्या लाभ होता क्या, हम लोग को बिजली मिलता क्या, एक पॉवर हाऊस फिर पॉवर हाऊस एशिया वो भारत देश नही वो अलग देश वहां रह रहे थे बडे–बडे इंजीनियर वहां आये। उस समय भारत देश की सरकार प्रथम प्रधानमंत्री स्व. जवाहरलाल नेहरू जी ये भलाई की नींव रखे। उसनकी सोच से आज हम आगे बढ रहे है। भिलाई में कर रहे है। वो हमारे बच्चे, भाई, भतीजे अगर काम नहीं है तो वहां जा रहे है। उसके बाद ये पॉवर प्लांट खुला। पॉवर प्लांट में क्या चाहिए कोयला, कोयला की खदान खोले, और कोयला के खदान से हमारे छत्तीसगढ के लोग काम कर रहे है। क्या हमारे पूरे देश के लोग काम नहीं कर रहे है। तो सब लोग का इसमें भला हो रहा है। सहसराम कर्ष मेरा नाम है, मैं सारागांव का रहने वाला हूॅ। मैं सरपंच रहा, मेरी पत्नी सरपंच रही, लगातार मैं पार्षद हूॅ। मैं विधानसभा सक्ती से चुनाव लडा 1998 में, ठीक है ये मेरा क्षेत्र नहीं है, मैं यहां का मतदाता नहीं हूॅ। मेरा सोच मेरे भाई भतीजे, बहन, राउत, तेली, काक्षी, धोबी, कुम्हार लोग का तो भला होगा। मै जवान था तब आज मेरा उम्र 62 वर्ष है। उस समय लडका टाईम रहा हूॅ, हम लोग का युवा का टीम था हमारे सारागांव में। आज सब जान रहे होंगे। ये स्टील प्लांट हमारे जांजगीर–चांपा जिले के, बिलासपुर जिले के हमारे कोटाडबरी में स्टील प्लांट खुला है। वो स्टील प्लांट हमारे गांव के सरपंच लोग को 1994 में लाने के लिए पूरा प्रस्ताव पारित कर दिये। हम सब लडके ऐसी हम लोग सब तैयारी कर लिये कि यहां प्लांट खुलने नहीं देंगे। हम लोग का कोई भला होगा ही नही। ये बडे लोग का होगा, दलाल लोग का होगा। गौटिया का भला होगा, गांव के सरपंच का भला होगा। ऐसा करके हम लोग प्लांट का विरोध कर दिये। विरोध करे तो आज वो प्लांट कोटाडबरी, हथनेवरा में जाकर लग गया। आज कोटाडबरी, हथनेवरा के आदमी के बारे में पता करो कि, हमारे सारागांव का पता करो। हमारे सारागांव इतना बडा गांव है कि 10,000 जनसंख्या है। उस गांव में एक भी आदमी नहीं लगे है, हथनेवरा के आदमी लगे है। कोटडबरी के ठेकेदार है और सबसे ज्यादा काम मिल रहा है। हम लोग नौकरी पाने के लिए, काम पाने के लिए, हमारे नेता लोग, मंत्री लोग को आवेदन दे रहे है। मंत्री हमारे चरणदास महंत जी कह रहे है एक अनार और सौ बीमार, एक ठोक प्लांट है सबके सब को नौकरी कैसे दू। सक्ती के लोग बोल रहे है नौकरी दो, यहां के लोग बोल रहे है नौकरी दो प्लांट में, प्लांट कहां मिलेगा। आज हमारे सारागांव मे खुले रहता तो, हमारे गांव के बच्चो का

नौकरी ज्यादा लगता। जो व्यवस्था है उसको बता रहा हूॅ। इससे क्या लाभ है क्या हानि है। प्लांट खुलने से सब का भला हो सकता है। आज तक ये पंचायत में दिये गये फंड के 84 लाख एक लडका भी बोला है। 84 लाख पैसा का काहे को बात नहीं कर रहे है। वो सरपंच लोग काहे के लिए बात नहीं कर रहे है। उसका जांच करावो, उसका शिकायत कलेक्टर को कराओ, ये शिकायत करने का जगह नहीं है। वो पैसा को मत लो वो जनपद, वो सरपंच, पैसा को लेकर वापस करें। इसमें का पैसा विकास करने आया है। 3–3, 4–4 साल हो गया है 84 लाख रूपया आया है। अभी एक भाई बोले है। मैं गांव का सरपंच था मेरा को सब मालूम है। आज पर्यावरण का बात है, बीमारी बड जा रहा है। अभी सरकार हमारे छत्तीसगढ के शपथ नहीं ले पाये थे। 25 लाख पेड को कटवा दिये। दलाल दलाली करने वाले जाने। आप को प्रतिवेदन भेजना है विरोध करना अलग बात है। पक्ष लेना अलग बात है। पर्यावरण के संबंध मा आपको सुनना है, और आपको भेजना है। उचित जगह लगना है। हम लोग इसका समर्थन कर रहे है। आप लोग के साथ में है, शासन के साथ में है। जैसे छत्तीसगढ सरकार 25 लाख पेड हसदेव से काट दिये। जल, जंगल को खत्म कर दिये, आज वो ही सरकार है। पर्यावरण के संबंध में पक्ष है। यहा भला होना है, मै भी विरोध कर रहा था बाद में पता चला कि 86 के विरोध के परिणाम हमारे गांव के आदमी नौकरी नहीं लग सकें।

43. **श्रीमती आशा, समाजिक कार्यकर्ता** :– अकलरा गांव में डोलोमाईट खदान है खुलने जा रहा है तो हम सभी इसका विरोध करते है। जो हमारे अकलसरा के जवान किसान है वो इस प्रकृति के गोद में इस मां के गोद में रहते है पलते है, बढते है उस प्रकृति ने हमें ये सिखाया है। कि हरे भरे वृक्ष के नीचे रहना है। प्रकृति से ही जीवन चलता है हमारा। आप सभी से निवेदन है प्रकृति से जितना छेडछाड करेंगे उतना तो प्रकृति आपको बदले में क्या देता है। आप सभी जानते है कर्म वापस आता है, इससे भी आप वाकिब है। हमारे अकलसरा गांववासी के गांव में डोलोमाईट का आप खदान लगाना चाह रहे है इसके लिए गांव वालो के हरेक व्यक्ति से जाकर पूछना चाहिए कि भैया तुम्हारा रोटी, कपडा और मकान कैसे चल रहा है। तुम्हारा शिक्षा, स्वास्थ्य, तुम्हारा गांव की स्थिति क्या है। उसके बाद ही आपको ज्ञान लेना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आसपास के कितने डोलोमाईट के खदान है क्या आप ने कभी प्रशिक्षण या संरक्षण करने गये है। वहां जा के देख लेख वहां पर खदान में जो बेंच लगा होता है। हर खदान में बेंच बिल्कुल नहीं है। आप जाकर एक बार चेक कीजिए। खदान के अंदर बेंच लगा होता है, है ही नहीं। कि बिना बेंच कैसे खदान आपने संरक्षित करा दिया, या

संचालित करवा दिया है। ये भी एक ये जानकारी की बात है। आज अगर हम उस पर्यावरण की बात करते है। सबसे पहले हरे–भरे एक मा के नाम पेड लगाने मा के नाम। लेकिन हम क्या कर रहे है, पेडो की कटाई करके वहां पर हम डोलोमाईट का खदान लगा रहे है, और बोल रहे है कि पर्यावरण का संरक्षण कर रहे है, क्या ये सही बात है, गलत बात है ना, आप सभी किसान के हितो में सोचिये, विचार कीजिए। हमारे किसान भाईयों का सहयोग कीजिए, न कि यहां पर माइंस खोलने का समर्थन कीजिए और मैं ये पूछना चाहूंगी कि कल की डेट पर किसान भाईयों के बेटो का नुकसान होता है तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। क्या आप लेगे उनका जिम्मेदारी। स्टाम्प पेपर में लिखकर दे दीजिए। भैया ने कहां हमारे सारागांव के विधानसभा अध्यक्ष है वो भैया, उन्होंने कहां की रोजगार की बात की, मैं पूछना चाहूंगी कि उनके सारागांव में कितना युवा बच्चा रोजगार प्राप्त किये है। यहां पर हमको डेटा ला के दे, डेटा ला के दे। तो फिर वो रोजगार की बात करें और उन्होंने एक बात कही, कि आसपास के गांव के लोगों को रोजगार दिया जाता है खदान खुलता है। तो बाकी के जितने खदान है बाकी के कितने खदान है मैं पूछना चाहूंगी कितने छत्तीसगढ के लोग है उनका भी डेटा है, लाकर दे हमें। उस खदान में काम करते है उसका डेटा लाकर दे, उसी गांव का मूल निवासी हो और बडे पद में हो। तो यहां पर पत्थर कंकड न बिनता हो खदान में। जो उस खदान में खुद भी काम न करता हो, वो एसी में बैठ के काम करें, ये वाला समर्थन देके आप जाये। करेंगे क्या आप सब, तो हम सब इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते है। मैं यही बोलना चाहूंगी कि कभी भी आप निर्णय लेते है तो आसपास के गांव किसान, युवा, बुजुर्ग सभी से पूछ ले कि उनकी क्या सहमति है, अगर वो समर्थन में है तो आप बिल्कुल कीजिए। आपको प्राकृति की हरी पत्ती नहीं चाहिए। आप भूल गये है कि आप उसी प्रकृति की गोद में आप जीवित है। प्रकृति भी देखता है कि आप क्या करेंग, और क्या नहीं करेंगे।

44. श्री गणेश राम केवट, अकलसरा :– आज हमारे गांव में डोलोमाईट खदान खुलने का प्रस्ताव पारित करने का प्रयास है। लेकिन एकदम घोर विरोध करते है। हम लोग को इससे नुकसान है। बहुत ज्यादा नुकसान है, थोडा–थाडा नुकसान नहीं है। जैसे कि पशु के चारागाह खत्म, सही बोल रहा हूॅ तो समर्थन दो। पर्यावरण दूषित होगा, पर्यावरण प्रदूषित होगा तो खदान काहे को खोलेंगे। जल स्तर के कमी होगा, जल स्तर के कमी होगा तो काहे को खुलने देंगे। अभी खदान खुला है डस्ट पटा है। तो घर–घर में डस्ट निकलता है। कौन है इसका जवाबदार, कलेक्टर महोदय आज तक हमारे गांव को कोई नहीं आता है, आज कैसे कलेक्टर महोदय आये है।

सडक के बर्बादी है आज खम्हरिया के सडक को देखो। उससे ज्यादा खराब होगा। उसके साथ भाईयों गाय, बछरू साथ–साथ लोग, बच्चे पूरा दुर्घटना के शिकार होंगे, ध्वनि प्रदूषण होगा, खदान के नजदीक में स्कूल है, साथ–साथ सरकारी भवन है, धान मंडी है, गोठान है, ये पूरा बर्बाद हो जायेगा। खदान नहीं खुलेगा कलेक्टर साहब, तुम्हारे से विनम्र निवेदन है। स्कूल पूरा जर्जर हो गया है। इसका मैं कडी निंदा कर रहा हूॅ खदान के इसका घोर विरोध कर रहा हूॅ और मैं आप सभी से समर्थन चाह रहा हूॅ आप लोग समर्थन दे। खदान नहीं खुलना चाहिए।

45. **श्री चक्रधर दीवान, ग्राम–अकलसरा** :–खदान से मेरे को परेशानी है। खदान खुलने का विरोध करता हूॅ। प्रर्यावरण प्रदूषण होगा, और बहुत प्रकार की हानि होगी, स्कूल को नुकसान होगा, सोसायटी को नुकसान होगा। कई प्रकार से परेशानी होगा। खदान खुलने का विरोध करता हूॅ।

46. **श्री राजेश कुमार सिदार, अकलसरा** :– अभी जो हमोर अकलसरा में डोलोमाईट खदान के अनुमति देने वाले है उसका मैं घोर विरोध करता हूॅ। हमारे गांव को बहुत कुछ नुकसान होता है। जो खुदान खुल चुका है उससे हमारे गांव के जल स्तर नीचे हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, हमको गाय गरूवा चलाने में भी दिक्कत हो रहा है, रोड के भी परेशानी है, वो भी बिगड रहा है। इसका मैं घोर विरोध कर रहा हूॅ। अपने गांव के पंच, सरपंच, बीडीसी से दस्तख्त करावा करके लाया हूॅ। सब लोग मेरे को समर्थन दिये है, खदान खुलने का घोर विरोध करता हूॅ।

47. **श्री श्यामचंद्रा, ग्राम–अकलसरा** :–अभी जो अकलसरा में खदान का जनसुनवाई है हमको पूरा गांव को अनेक प्रकार से नुकसान है आसपास के 5 से 7 कि.मी. गांव खम्हरिया, छितापंडरिया, झालरौंदा, भोथिया, केकराभाट साथ में ठठारी ये सब गांव को नुकसान है, सब समझदार हो, सब ज्ञानी आदमी हो, बताने को किसी की जरूवत नहीं है। मैं बताना चाहता हूॅ कि मार्ग की समस्या को अपने–अपने गांव के समस्या को हम लोग जानते है। पहले से अकलसरा में 02 खदान चल रहा है, उस दोनों में भी जनसुनवाई हुआ था, उसके बाद 03 और हुआ है। ये अधिकारी थे बहुत लोग गांव वाले विरोध करे थे। गांव वाले विरोध भी करते है पता नहीं अधिकारी लोग वहां जाकर क्या करते है क्या नहीं करते है, और गांव में खदान खुल जाता है तो ये जन सुनवाई के क्या मतलब है, सही है कि गलत है मेरा समर्थन है तो बिल्कुल बोलो, खदान नहीं खुलना है, नहीं खुलना है। अभी सारागांव के भैया बोले

है। प्लांट खुलने में बहुत फायदा है, बहुत सही बात है बहुत फायदा है। खदान के खुलने में क्या फायदा है, इसको बताओ कौन कर्मचारी है इसको जांच करके देख लो। क्या–क्या काम करते है और क्या–क्या पोस्ट में है, और जो है वो कुली के काम करेंगे। बाकी उपर वाले सब बाहर के, खदान के कोई प्रकार के फायदा नहीं है, मेरे हिसाब से। मेरे को खदान खुलने में विरोध है। उसके निम्न बिन्दु मैं बता रहा हूॅ। खदान खुलेगा तो हम लोग का जल स्तर निचे चल देगा। आने वाले समय में 02 खदान चल रहा है, जाते–जाते अकलसरा में हर बोर 40 से 50 फीट में पानी दे रहा था। कई बोर ऐसे था जो बरसात के समय में बिना लाईन के चलता था। आज क्या स्थिति है आप लोग सब लोग जान रहे हो, गांव के लोग। बाकि सब बाहर से किराया वाला भाडा है, उसको सब जान रहे हो। गांव के क्या स्थिति है ये सब स्थिति गांव के जनता लोग जान रहे हो। गांव मे 02 खदान चल रहा है उसको भोग रहे है और नया खदान मत खुले। आप सब लोग भी विरोध करो। मेरा जो विरोध है उसको दर्ज किया जाये, इसमें हाईस्कूल हमारे अकलसरा से खम्हरिया, भोथिया मनकाबाई पहुंच मार्ग है, पूर्ण रूप से बाधित होगा, सोसायटी है धान खरीदी केन्द्र के चबुतरा का निमाण हो गया है, लेकिन आज तक वो जगह में धान खरीदी नहीं हुआ है। ये माइंस संचालन लोग उसमें स्टे लगाये है, अगर उसमें स्टे लगाना था तो सरकार उसमें पैसा खर्चा क्यू करें है और खर्चा क्यू करवाया है। अगर माइंस चलेगा तो गांव वाले को रोजगार मिलेगा, तभी ठीक है, दो से चार महीने में मिल रहा है, ये तो पूरा गलत है भाई, रोजगार ओमा कुछ नहीं मिलही। अकलसरा में खदान खोलने के विषय में बोलना है कि सभी आये गणमान्य नागरीक से सब से आग्रह है शासन खोले, सरकार खोले, एनटीपीस बना दे, इसमें सबको नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, शिक्षा, स्वास्थ सब सुविधा मिलेगा।

48. **श्री राहुल शर्मा, ग्राम–बाराद्वार** :– अभी किसी ने कहा गांव का विकास होता है मै ये पूछना चाहता हूॅ कि खम्हरिया में 15 साल से माइंस चल रही है, तो उस गांव में क्या–क्या विकास हुआ है। गांव की रोड क्या है शीशे की रोड बन गई है। बच्चे वहां स्लाईडिंग से जाते है वैसी हमको नहीं चाहिए। खम्हरिया जैसा विकास तो हमको बिल्कुल ही नहीं चाहिए। अगल–बगल गांव में देख लीजिए। 15–15 साल से उस गांव का क्या विकास है, उस गांव की क्या स्थिति है। उसके बाद आप यहां निर्णय ले, जो भी ले।

उपरोक्त वक्तव्यों के बाद अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला–सक्ती तथा सहायक अभियंता द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अपने विचार व्यक्त

करने का अनुरोध किया गया। किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। तत् पश्चात् लगभग 2:30 बजे अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला–सक्ती द्वारा लोकसुनवाई सम्पन्न होने की घोषणा की गई।

लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में 73 आवेदन पत्र सुझाव/विचार/टीका –टिप्पणी प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 48 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई, जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 200–250 व्यक्ति उपस्थित थे। उपस्थिति पत्रक पर कुल 45 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। आयोजित लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई।

सहायक अभियंता
क्षेत्रीय कार्यालय,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
बिलासपुर (छ.ग.)

अपर कलेक्टर
एवं अपर जिला दण्डाधिकारी,
जिला–सक्ती (छ.ग.)